## *सोलर बिजली अपनाओ पर्यावरण बचाओ, बिजली का खर्चा घटाओ!*

- सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने हेतु बिजली उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठापन के लिए सरकारी अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है।
- यह सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है।
- आवेदन करते समय उपभोक्ता से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- बिजली कंपनी द्वारा चयनित एजेंसी द्वारा रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट का अधिष्ठापन किया जायेगा एवं एजेंसी द्वारा 5 वर्षों तक इसका निशुल्क रख-रखाव किया जायेगा, हालांकि सोलर पैनल लगभग 25 वर्षों तक कार्य करेगा।
- सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने हेतु बिजली उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठापन के लिए सरकारी अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है, जो निम्नलिखित है:

| **क्रमांक** | **रुफ़टॉप सोलर प्लांट की कुल क्षमता (किलोवाट में)** | **अनुदान** |
|---|---|---|
| 1. | 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक | 65 % |
| 2. | 3 किलोवाट से ऊपर एवं 10 किलोवाट तक | प्रथम 3 किलोवाट – 65%<br>शेष किलोवाट – 45% |
| 3. | 10 किलोवाट से ऊपर | प्रथम 3 किलोवाट – 65%<br>अगले 7 किलोवाट – 45%<br>शेष किलोवाट – 25% |
| 4. | ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी/रेसिडेन्शियल वेल्फेयर असोसिएशन (GHS/RWA) इत्यादि हेतु 10 किलोवाट प्रति घर (प्रत्येक घर पर अधिष्ठापित निजी रुफ़टॉप सोलर प्लांट की क्षमता को जोड़कर) के दर से 500 किलोवाट तक | 45% |
| 5. | ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी/रेसिडेन्शियल वेल्फेयर असोसिएशन (GHS/RWA) इत्यादि हेतु 10 किलोवाट प्रति घर (प्रत्येक घर पर अधिष्ठापित निजी रुफ़टॉप सोलर प्लांट की क्षमता को जोड़कर) के दर से 500 किलोवाट से ऊपर | प्रथम 500 किलोवाट – 45%<br>शेष किलोवाट – 25% |

- बिजली कंपनी द्वारा चयनित एजेंसी द्वारा रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट का अधिष्ठापन किया जायेगा एवं एजेंसी द्वारा 5 वर्षों तक इसका निशुल्क रख-रखाव किया जायेगा, हालांकि सोलर पैनल लगभग 25 वर्षों तक कार्य करेगा।
- 1 किलोवाट सोलर प्लान्ट से औसतन प्रतिवर्ष 1490 यूनिट बिजली का उत्पादन होता है।

# उपयोग करने के निर्देश

| क्र० | चरण | उपभोक्ता | वेंडर (वितरण कंपनियों द्वारा चयनित) | डिस्कॉम (वितरण कंपनियां – नॉर्थ एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रब्यूशन कं० लि०) | DISCOM Solar Executive डिस्कॉम सोलर अधिकारी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पंजीकरण एवं लॉगिन | • उपभोक्ता वेबसाइट पर नए उपयोगकर्ता पंजीकरण लिंक का उपयोग करके खुद को आवासीय या आवासीय वेलफेयर एसोसिएशन के रूप में पंजीकृत कर सकता है<br>• उपभोक्ता CA नंबर दर्ज करेंगे और Get Data पर क्लिक करके अपना विवरण प्राप्त कर सकते हैं तथा विवरणों को सत्यापित करने के लिए ओटीपी उत्पन्न कर सकते हैं।<br>• आवासीय वेलफेयर एसोसिएशन के मामले में प्राथमिक संपर्क व्यक्ति का विवरण उपभोक्ता द्वारा देना होगा।<br>• पंजीकृत आवेदक अपने CA नंबर के माध्यम से लॉगइन करेंगे और अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को सत्यापित करेंगे। | | | |
| 2 | आवेदन पत्र (उपभोक्ता) | • लॉगिन करने के बाद आवेदक सोलर रूफटॉप आवेदन प्रपत्र भरकर आवेदन करेंगे। प्रपत्र में पसंदीदा वेंडर का चयन करना होगा तथा हाल की तस्वीर, पहचान पत्र एवं बिजली बिल अपलोड करना होगा | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | वेंडर द्वारा साइट सत्यापन तथा छत के क्षेत्रफल का आकलन | | ●वेंडर आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात उपभोक्ता परिसर का ऑनसाइट निरीक्षण/आकलन करेगा<br>●निरीक्षण/आकलन के बाद वेंडर आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत कर देगा और सोलर प्लांट की क्षमता में कमी की स्थिति में उसी फॉर्म में अपडेट करना होगा | | |
| 4 | डिस्कॉम द्वारा तकनीकी व्यवहार्यता निर्धारण | | | ● डिस्कॉम उपभोक्ता से आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर देगा या पोर्टल में आवश्यक बदलावों को अपडेट करेगा | |
| 5 | पुन: आवेदन (कम क्षमता / अस्वीकृति की स्थिति में) | ●उपभोक्ता वेंडर / डिस्कॉम अधिकारियों द्वारा सुझाए गए आवश्यक परिवर्तनों के साथ सोलर रूफटॉप एप्लिकेशन को सुधार कर फिर से आवेदन करेंगे | | | |
| 6 | नेट मीटरींग समझौता | ●वेंडर तथा डिस्कॉम, दोनों द्वारा आवेदन स्वीकार करने के पश्चात उपभोक्ता डिस्कॉम अधिकारियों के साथ नेट मीटरिंग समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे | | ● डिस्कॉम अधिकारी पोर्टल पर समझौते की स्कैन कॉपी अपलोड करेंगे | |
| 7 | भुगतान | ●भुगतान हेतु भुगतान तथा वेंडर के बैंक खाते का विवरण उपभोक्ता को दिखाया जाएगा<br>●भुगतान के बाद उपभोक्ता पोर्टल पर भुगतान रसीद अपलोड करेगा | | | |
| 8 | भुगतान सत्यापन | | ●वेंडर द्वारा उपभोक्ता से प्राप्त भुगतान की पुष्टि करने के बाद कार्य शुरू करने के लिए कार्यादेश जारी किया जाएगा | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | वर्क कंप्लीशन रिपोर्ट | | ●वेंडर कार्य आदेश प्राप्त करने के 120 दिनों के भीतर सौर पैनलों की स्थापना को पूरा करेगा और कार्य समाप्ति के पश्चात वर्क कंप्लीशन रिपोर्ट में उपयोग किए गए घटकों / सामग्रियों के विवरण को भरेगा | | |
| 10 | सिस्टम रेडीनेस रिपोर्ट | | ● सिस्टम स्थापित होने के बाद वेंडर डिस्कॉम को इसकी सूचना प्रदान करेगा | | |
| 11 | प्लांट का परीक्षण, कमीशनिंग एवं सिंक्रोनाइज़ेशन | | | ● प्लांट के परीक्षण, कमीशनिंग एवं सिंक्रोनाइजेशन का कार्य संबंधित डिस्कॉम अधिकारियों द्वारा किया जाएगा तथा सर्विस कनेक्शन रिपोर्ट जारी करेगा | |
| 12 | प्रोजेक्ट कम्प्लीशन रिपोर्ट | | | | ● डिस्कॉम सोलर अधिकारी सर्विस कनेक्शन रिपोर्ट जारी करने के पश्चात प्राप्त सभी आवेदन विवरणों को सत्यापित करेंगे और इसे सब्सिडी संवितरण हेतु MNRE के SPIN पोर्टल पर भेजेंगे। |